

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

\*\*\*\*\*

क्रमांक: प. 3(7)नविवि/II/2020

जयपुर, दिनांक: 1 OCT 2021


आदेश

श्री रविराय वर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (वर्तमान में निलम्बित) कार्यालय मुख्य नगर नियोजक को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.12.2020 द्वारा निलम्बित किया गया था।

श्री रविराय वर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (वर्तमान में निलम्बित) की निलम्बन अवधि को छः माह से अधिक समय हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम, 53(1)(क)(i) के अन्तर्गत पूर्व से दिए जा रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(नवनीत कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

  
11/10/2021  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

Manu 5  
2  
5/10